



-:प्रेस नोट:-

दिनांक- 03.01.2025

कार्यालय पुलिस अधीक्षक बांदा

❖ आपरेशन कन्विकशन के तहत त्वरित एवं निष्पक्ष विवेचना, प्रभावी अभियोजन एवं पैरवी के फलस्वरूप अलग-अलग 04 मामलों में कुल 04 अभियुक्तों को कारावास व 18000/ रुपये के जुर्माने से कराया गया दण्डित ।

विवरण- पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश के निर्देशन में चलाये जा रहे अभियान आपरेशन कन्विकशन के तहत कड़ी सजा दिलाये जाने के क्रम में पुलिस अधीक्षक बांदा श्री अंकुर अग्रवाल के कुशल निर्देशन में अलग-अलग 04 मामलों में कुल 04 अभियुक्तों को कारावास व 18000/ रुपये के जुर्माने से दण्डित कराया गया जिनका विवरण निम्न है-

अभियोग-

1. थाना चिल्ला पर पंजीकृत अभियोग- 13/2000 धारा 279/338/304A भादवि के सुधीर सिंह पुत्र शिवमंगल सिंह निवासी बहेरी थाना गिरवां जनपद बांदा को **01 माह के कारावास व 5000/ रुपये के जुर्माने** से दण्डित कराया गया ।
2. थाना कोतवाली नगर पर पंजीकृत अभियोग- 201/98 धारा 401 भादवि के अभियुक्त प्रमोद कुमार गुप्ता पुत्र राम नारायण गुप्ता नि0 मण्डी समिति थाना कोतवाली नगर जनपद बांदा को जेल में अवधि (03 दिन) तथा **5000/ रुपये के जुर्माने** से दण्डित कराया गया ।
3. थाना बिसंडा पर पंजीकृत अभियोग- 125/19 धारा 323/504/506 भादवि के अभियुक्त विजयकरन सिंह पुत्र इन्द्रपाल सिंह निवासी बिलगांव थाना बिसंडा जनपद बांदा को **6000/ रुपये के जुर्माने** से दण्डित कराया गया ।
4. थाना बिसंडा पर पंजीकृत अभियोग- 31/01 धारा 353/504/506 भादवि के अभियुक्त विजय बहादुर पुत्र वासुदेव कुर्मी निवासी मिलाथू थाना बिसंडा जनपद बांदा को जेल में बिताई अवधि (06 दिन) तथा **2000/ रुपये के जुर्माने** से दण्डित कराया गया ।